न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर

बईजलास श्री कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस., जिला कलक्टर, बीकानेर

A12/1

नम्बर मुकदमा 06/2010 रेफरेंस प्रार्थना पत्र

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर — प्रार्थी

बनाम

1.जोरावरसिंह 2. अमरसिंह पिसरान भभुतासिंह राजपूत निवासी उदासर तहसील बीकानेर
3.जितेन्द्रसिह 4. जोगेन्द्रसिंह 5. जीवराजसिंह 6.अजीतसिह 7. प्रतापसिंह पिसरान खींवसिंह राजपूत निवासी उदासर तहसील बीकानेर
8.मु. सुप्यार कंवर बेवा खींवसिंह कौम राजपूत निवासी उदासर, तहसील बीकानेर

अप्रार्थीगण

रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 आरटीए एवं धारा 82 एल.आर. एक्ट 1956

1– स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि –उपस्थित
2– अप्रार्थीगण की ओर से श्री सत्यनारायण तिवाड़ी एड.–उपस्थित।

आदेश

दिनांक 03.02.2020

1. प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर ने रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चक 10बीएसएम के मु.नं. 157/31 रकबा 7 बीघा मु.नं. 157/39 रकबा 13 बीघा कुल 20 बीघा तथा 11 बीएसएम के मु.नं. 157/32 रकबा 24 बीघा 157/40 रकबा 11 बीघा 158/25 रकबा 3 बीघा कुल 38 बीघा कुल तादादी 58 बीघा जिसमें 41 बीघा कमाण्ड व 17 बीघा अनकमाण्ड का आदेश विशेष अभियान 2006 कैम्प उदासर में आदेश दिनांक 01.02.06 के द्वारा अप्रार्थीगण को खातेदार घोषित किया गया। खातेदारी मृत व्यक्ति के नाम नायब तहसीलदार के हस्ताक्षरो से जारी की गयी जो क्षेत्राधिकार से बाहर नियम विरूद्ध होने के कारण एबऐनिशियो वॉयड है। अतः प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल को अग्रप्रेषित करने का निवेदन किया गया।

2. रेफरेंस प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड व अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित आये।

3. तदन्तर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

जिला कलक्टर, बीकानेर

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है ग्राम चक 10बीएसएम के मु.नं. 157/31 रकबा 7 बीघा मु.नं. 157/39 रकबा 13 बीघा कुल 20 बीघा तथा 11 बीएसएम के मु.नं. 157/32 रकबा 24 बीघा 157/40 रकबा 11 बीघा 158/25 रकबा 3 बीघा कुल 38 बीघा कुल तादादी 58 बीघा जिसमें 41 बीघा कमाण्ड व 17 बीघा अनकमाण्ड का आदेश विशेष अभियान 2006 कैम्प उदासर में आदेश दिनांक 01.02.06 के द्वारा अप्रार्थीगण को खातेदार घोषित किया गया। खातेदारी मृत व्यक्ति के नाम नायब तहसीलदार के हस्ताक्षरो से जारी की गयी जो क्षेत्राधिकार से बाहर नियम विरूद्ध होने के कारण एबऐनिशियो वॉयड है। विभागीय प्रतिनिधि की यह भी बहस है कि अप्रार्थी जोरावरसिंह की मृत्यु दिनांक 02.10.96 को हो चुकी थी जबकि खातेदारी आदेश दिनाक 01.02.06 को जारी किये गये। ग्राम उदासर में स्थित चक 10 व 11 बीएसएम राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 29.08.07 के अनुसार नगरीय परिधि क्षेत्र में होने के कारण विशेष अभियान में खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। खातेदारी अधिकार नायब तहसीलदार द्वारा दिये गये है जो नियम विरूद्ध है। अतः खातेदारी आदेश दिनांक 01.02.06 को निरस्त करवाने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर को अग्रप्रेषित किया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने लिखित बहस के बिन्दूओ को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी जोरावरसिह वगैराह की सम्वत् 2012 से पूर्व की काश्तकारी की भूमि होने के कारण आरटी एक्ट की धारा 15 के तहत अप्रार्थीगण खातेदारी अधिकार कानूनन वेस्ट कर चुके थे। जोरावरसिह सम्वत् 2012 का टिनेट होने के कारण बाय ऑपरेशन आफ लॉ रिकार्ड में अंकन करने का आदेश विधि सम्वत् था। इस बिन्दू पर आरआरसी 1999 पेज 331 नजीर प्रस्तुत की। बीकानेर में मास्टर प्लान का अनुमोदन 1981 में हुआ। इस संबध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1993(2) पेज 546 में यह व्यवस्था दी कि राजस्थान में 09.03.76 को मास्टर प्लान अस्तित्व में नहीं था तो भूमि के निर्धारण करनें में मास्टर प्लान देखना आवश्यक नहीं है। सन् 1981 में मास्टर प्लान लागू होने से अप्रार्थी नं. 1 में दिनांक 15.10.55 को धारा 15 एवं धारा 15 एएए आरटी एक्ट के तहत ऑटोमेटिक वेस्ट हुए खातेदारी अधिकार मास्टर प्लान के कारण डी–वेस्ट नही होते। आरआरडी 1964 पेज 342 ए पैरा 11 तहसीलदार अगर आदेश को गैर कानूनी समझता तो विहित अवधि में अपील, रिव्यु, रिवीजन के माध्यम से चुन्नौत्ति दी सकती थी। खातेदारी आदेश अंतिमता ले चुका होने के कारण रेफरेंस खारिज योग्य है। तत्पश्चात रेफरेंस के माध्यम से आदेश को चुन्नौत्ति देना बैकडोर रेमेडी माना गया। आरबीजे 2000 पेज 408, आरआर डी1966 पेज 44, आरआरडी 1972 पेज 1, आरआरडी 1978 पेज 507 सक्षम अधिकारी ने राजस्व रेकर्ड अपडेट रखने के लिए खातेदारी अधिकारो का अंकन किया है। ऐसी स्थिति में खातेदारी अधिकारो के आदेशो को चुन्नौत्ति देने से एस्टोप्ड है। एआईआर 1981 पेज 1, एआईआर 1983 पेज 186, एआईआर 1990 पेज 56सक्षम अधिकारी द्वारा खातेदारी आदेश राज्य सरकार के आदेशो की अनुपालना में प्रदत्त किय गये होने के कारण खातेदारी का मूल ओदश राज्य सरकार का हो जाता है। आरआरडी 1987 पेज 478, आरएलडबल्यू 2008 पेज 482 माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वरा विभिन्न नजीरो को मे यह व्यवस्था दी है कि रेफरेंस की कार्यवाही 1 साल के अंदर प्रस्तुत होनी चाहिये। एक साल के पश्चात रेफरेंस प्रार्थना पत्र मियाद बाहर मानकर खारिज कर दिया जाना चाहिए। आरआडी 2005 पेज 365, 742 आरआरडी 2006, पेज 783, आरआरडी 2009 पेज 527, आरआरटी 2010 पेज 577 रेफरेंस प्रार्थना पत्र में अंकित एक भी नोटिफिकेशन सर्कुलर अथवा राज्य सरकार का आदेश इस प्रकरण में लागू नहीं होता हैं क्योकि अप्रार्थी संवत 2012से पूर्व से वादगत भूमि पर बतौर टिनेट काबिज हैं। रेफरेंस राज्य सरकार की मंशा के विरूद्ध पेश किया गया है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.01.79, 04.01.89, 29.09.95 में सम्बन्धित जिलाधीशो को आदेश दिया गया था कि डी कॉलोनाईज गांवो में राजस्व रिकार्ड की स्थिति वही अंकित करे जो कोलोनाईजेशन में सम्मिलित थी। उक्त आधारो पर यह रेफरेंस प्रार्थन पत्र बोगस लिटिगेशन की तारीफ में आता है। अतः विशेष कोस्ट लगाकर खारिज किया जावे।

जिला कलक्टर, बीकानेर

A 14/3

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। व पत्रावली तथा विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अद्योपान्त अवलोकन किया। भु राजस्व अधिनियम की धारा 82 में यह प्रावधान किया गया है कि निदेशक या कलेक्टर अपने अधीनस्थ किसी राजस्व न्यायालय अथवा अधिकारी द्वारा विनिश्चय किसी भी मामले या की गयी कार्यवाही का विलेख पारित आदेश की वैद्यता अथवा औचित्यता एवं कार्यवाहियो की नियमितताओ के संबध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मंगाकर उसका परीक्षक कर सकेगा तथा उसकी राय में आदेश को रद्द किया जाना चाहिए तो माननीय राजस्व मण्डल को रेफर कर सकेगा। प्रकरण में एस्टोपल का कथन इस कारण स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि जिस अधिकारी द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। उसी अधिकारी द्वारा रेफरेंस नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त लैण्ड होल्डर के ध्यान में ऐसा तथ्य आता है कि मामले में पारित आदेश विधि अनुरूप नही है तो उसे निरस्त करने हेतु कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। लैण्ड होल्डर को रेफरेंस पेश करने से रोका नहीं जा सकता। जहां तक धारा 7 के तहत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को राज्य सरकार द्वारा पारित आदेशो की तरह माने जाने का संबध है तो तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करते वक्त राज्य सरकार द्वारा जारी जिन परिपत्रो, अधिसूचनाओ एवं निर्देशो का हवाला दिया गया है, ऐसे आदेश राज्य सरकार के उक्त आदेशो एवं निर्देशो के विपरित जाकर आदेश पारित किये गये है तो तहसीलदार का कृत्य है राज्य सरकार की तरह नहीं माना जा सकता। मियाद बिन्दू के संबध में धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 व धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में रेफरेंस करने हेतु बाधित नहीं है। रिकार्ड के अनुसार अप्रार्थी जोरावरसिंह की मृत्यु दिनांक 02.10.96 को होने के पश्चात खातेदारी आदेश दिनांक 02.01.06 को मृत व्यक्ति के नाम से जारी किये गये है। प्रश्नगत भूमि ग्राम उदासर में स्थित चक 10 व 11 बीएसएम मास्टर प्लान एरिया में घोषित हो चुके है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार नगर योग्य सीमा के भीतर या परिधि क्षेत्र में स्थित भूमि की खातेदारी विशेष अभियान के दौरान नायब तहसीलदार द्वारा दी जाना क्षेत्राधिकार से बाहर है। मृत व्यक्ति के नाम खातेदारी जारी करने के आदेश नियम विरूद्ध एवं एबएनिशियो वायड है। नियम विरूद्ध एवं एबएनिशियों वायड आदेश के विरूद्ध रेफरेंस के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं है। अतः हम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर को अग्रप्रेषित किया जाना न्यायोचित पाते है।

7. उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रप्रेषित कर निवेदन है कि **तहसीलदार बीकानेर** द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में पारित खातेदारी आदेश सं. वीअ/06/उदासर/16 **दिनांक 01.02.2006** विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किया जावे। उपस्थित पक्षकारान को निर्देश दिये जाते है कि वे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष दिनांक 15.04.2020 को उपस्थित होवें । तहसीलदार(राजस्व) बीकानेर को आदेशित किया जाता है कि वे निर्धारित समयावधि में रेफरेंस प्रकरण मय संपूर्ण रिकार्ड के माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत करे।

8. आदेश आज दिनांक 03.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्य प्रतिलिपि
जिला कलक्टर
बीकानेर

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर,बीकानेर